

मोटर वाहन / पर्सनल कम्प्यूटर के गिरवी बॉड के फार्म आरंभिक पेशगी (अग्रिम)

यह द्विपक्षीय करारनामा दिनांक.....कोको
(एतदकर्जदार जिसमें उसका वारिश, प्रशासक, कार्यकारी एवं कानूनी प्रतिनिधि शामिल हैं) पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष में भारत के राष्ट्रपति (एतद उत्तरोक्त अधिकारी एवं हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति / शामिल हैं)।
चूंकि कर्जदार ने पर्सनल कम्प्यूटर लोन का आवेदन किया है और उन्हें पर्सनल कम्प्यूटर की खरीद के लिए..... रु. की अग्रिम मंजूरी मिली है। उन्हें केंद्र सरकार के साधारण वित्त अधिनियम १९६३ के उपनियम १९९ से २११ के शर्तों से उत्पाद शुल्क भुगतान करना है। (एतद द्वारा उपरोक्त रूप्यों के लिए नियम जिसमें संशोधन एवं अतिरिक्त योग भी शामिल है।) जबकि उन पर यह शर्त होगी कि कर्जदार पर ऋण की मंजूरी होने पर ऋण राशि की सुरक्षा के तौर पर प्रेसिडेंट के प्रति कम्प्यूटर बंधक (गिरवी रहेगी)।

जबकि कर्जदार ने अग्रिम से कम्प्यूटर का क्रय किया उत्पाद शुल्क भरा या / पार्टी को भुगतान किया तथा कथित कम्प्यूटर का विवरण लिखित तालिका बद्ध है। उपरोक्त नियमों के अनुपालन में कर्जदार प्रेसिडेंट को..... उपरोक्त राशि, उपरोक्त शेष राशि / नहीं भुगतान की गयी राशि देने के लिए सहमत है। अभी के लिए उक्त तारीख से..... प्रतिमाह के पहले दिन ब्याज सहित देगा। उपरोक्त नियमानुसार शेष राशि बचे हुए बकाया राशि ऋण के हिसाब से अपने मासिक वेतन से कटौती की जा सकती है। १२ महीनों से अधिक समय के लिए भारत के बाहर जाने स्थानांतरण / प्रतिनियोजन नियुक्ति होने पर सक्षम अधिकारी राशि का भुगतान नहीं किया गया। उसका शेष भाग / उसका ब्याज भारतीय रुपये में भुगतान की अनुमति देगा। कर्जदार ऐसे बकायों के भुगतान प्रेसिडेंट को बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रति माह १५ तारीख को लेखा अधिकारी के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा देगा। जिनके पास उनका लेखा बुक रहता है। पुनः उपरोक्त करार के नियमों के अनुसार कर्जदार (कर्मचारी) प्रेसिडेंट को अग्रिम राशि उसका ब्याज उक्त नियमों के अनुसार सुरक्षा के लिए पर्सनल कम्प्यूटर का विवरण देने के लिए तालिका के अधीन लिखित देने के लिए सहमत है। एतद द्वारा कर्जदार ने कम्प्यूटर का देय उत्पाद शुल्क सहित क्रय मूल्य का भुगतान किया है। जो उनकी संपत्ति है। वे उसे बंधक, बेच, कब्जा से अलग नहीं कर सकते हैं। जब तक प्रेसिडेंट के पास एडवांस की भुगतान राशि देय है। (के लिए सहमति पूर्वक घोषणा करता है।) एतद द्वारा सहमति है। उक्त किसी भी घटना के पश्चात प्रेसिडेंट उपरोक्त कम्प्यूटर का कब्जा लेने, जब्त करने अथवा कब्जा रखने उसे हटाये बिना / अथवा हटाये पब्लिक/ निजी निलामी द्वारा कम्प्यूटर को बेचकर शेष बचे हुए बकाया राशि का तब अदत शेष रहता है। कोई भी ब्याज का हिसाब उपरोक्त नियम से होगा। मूल्य, प्रभार व्यय का सही भुगतान खर्च अथवा अपने बचाव और उगाही का अधिकार के प्रति इस प्रकार है। अतिरिक्त से ज्यादा भुगतान यदि कर्जदार का निजी कार्यकारी प्रशासक करता है। इसके अलावा भी उपरोक्त कम्प्यूटर का कब्जा लेना, उसे बेचना पूर्व धारणा नहीं होगा। प्रेसिडेंट कर्जदार एवं उसके प्रतिनिधि के प्रति केस करने का अधिकार रखता है। उसके बाद बचे हुए शेष अग्रिम एवं देय ब्याज राशि जो उपरोक्त नियमों के हिसाब से मूल्य प्रभार, उचित खर्च का भुगतान अथवा रख-रखाव का खर्च के अतिरिक्त भुगतान के उगाही का अधिकार होगा।

यह सहमतिपूर्वक घोषणा है कि उपरोक्त कोई किस्त जो मूल ऋण अथवा ब्याज उपरोह नियमों से भुगतान या वसूली देय तारीख से १० दिन के अंदर नहीं होती है, कर्जदार की मृत्यु, सरकारी नौकरी की समाप्ति पर यदि कर्जदार उक्त संपत्ति (कम्प्यूटर) की बिक्री गिरवी या अलग करे अथवा (उसका कब्जा दिवालिया होने अथवा अपने क्रेडिटर के साथ कोई व्यवस्था, अथवा कोई व्यक्ति किसी उक्त प्रक्रिया की समझौता, किसी आदेश का अनुपालन अथवा कर्जदार के खिलाफ फैसला होने की दशा में ऋण की पूरी मूल रकम जो बकाया देय है एक साथ मूल ऋण एवं ब्याज के पूर्वोक्त हिसाब से तुरंत बकाया एवं देय होगा। एतद द्वारा सहमति है उक्त किसी भी घटना के पश्चात प्रेसिडेंट उपरोक्त कम्प्यूटर का कब्जा लेने/जप्त करने/ अथवा कब्जा रखने/ उसे हटाने या कि हटाए पब्लिक/ निजी निलामी द्वारा बेचकर शेष बचे हुए बकाए ऋण राशि का जो शेष अदत रहे/ किसी भी (ब्याज का हिसाब पूर्वोक्त नियम से होगा। मूल्य प्रभार

व्यय का सही भुगतान/ खर्च के दौरान/ अपने बचाव और उगाही अधिकार इस प्रकार है- अतिरिक्त से ज्यादा भुगतान करना होगा/ कर्जदार या निजी कार्यकारी प्रशासक कम्प्यूटर का कब्जा / बेचने का अधिकार पूर्वधारण नहीं होगा। प्रेसिडेंट-को कर्जदार एवं उसके निजी प्रतिनिधि के खिलाफ केस करने का अधिकार है। (उपरोक्त बकाया राशि एवं उसके ब्याज के लिए) यदि पर्सनल कम्प्यूटर की बिक्री से प्राप्त राशि कुल देय ऋण राशि से कम है, कर्जदार सहमत है कि लोन या कोई भी राशि देय होने की दशा में कम्प्यूटर को नष्ट करने/ क्षति पहुंचाने/ तोड़ने का अधिकार नहीं होगा/ यदि तोड़ फोड़ वाजिब है पुन किसी दुर्घटना या क्षति होने पर कर्जदार को तुरंत उसकी मरम्मत एवं ठीक कराना होगा।

तालिका

मोटरवाहनकाविवरण

निर्माता का नाम	
विवरण	
सिलिंडर की संख्या	
इंजन सं.	
चेचिस सं.	
क्रय मूल्य	

पर्सनल कम्प्यूटर का विवरण

कम्प्यूटर निर्माता एवं मॉडल
चेसिस नं.

श्री/श्रीमती.....सी.एस.डी. मंत्रालय / कार्यालय कर्जदार के पक्ष में राष्ट्रपति की ओर से गवाह बने हैं।

हस्ताक्षरकर्ता

उपस्थिति में

लेने वाले का पदनाम एवं हस्ताक्षर

गवाह के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता (नाम एवं पदनाम)

कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से
की उपस्थिति में

गवाह के हस्ताक्षर

लेने वाले का नाम एवं हस्ताक्षर

महाप्रबंधक

कैंटीन भंडार विभाग

मुंबई-२०